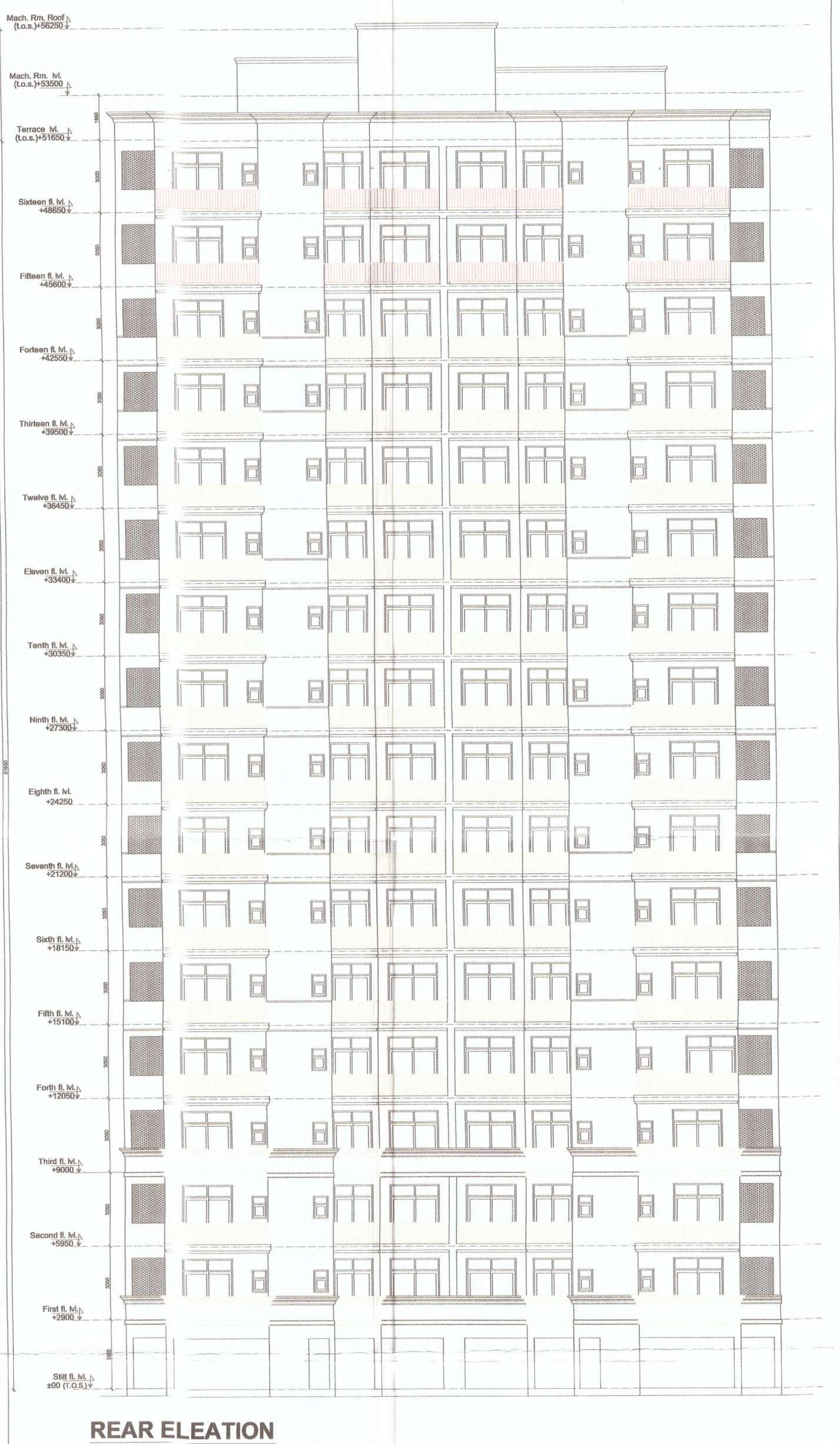
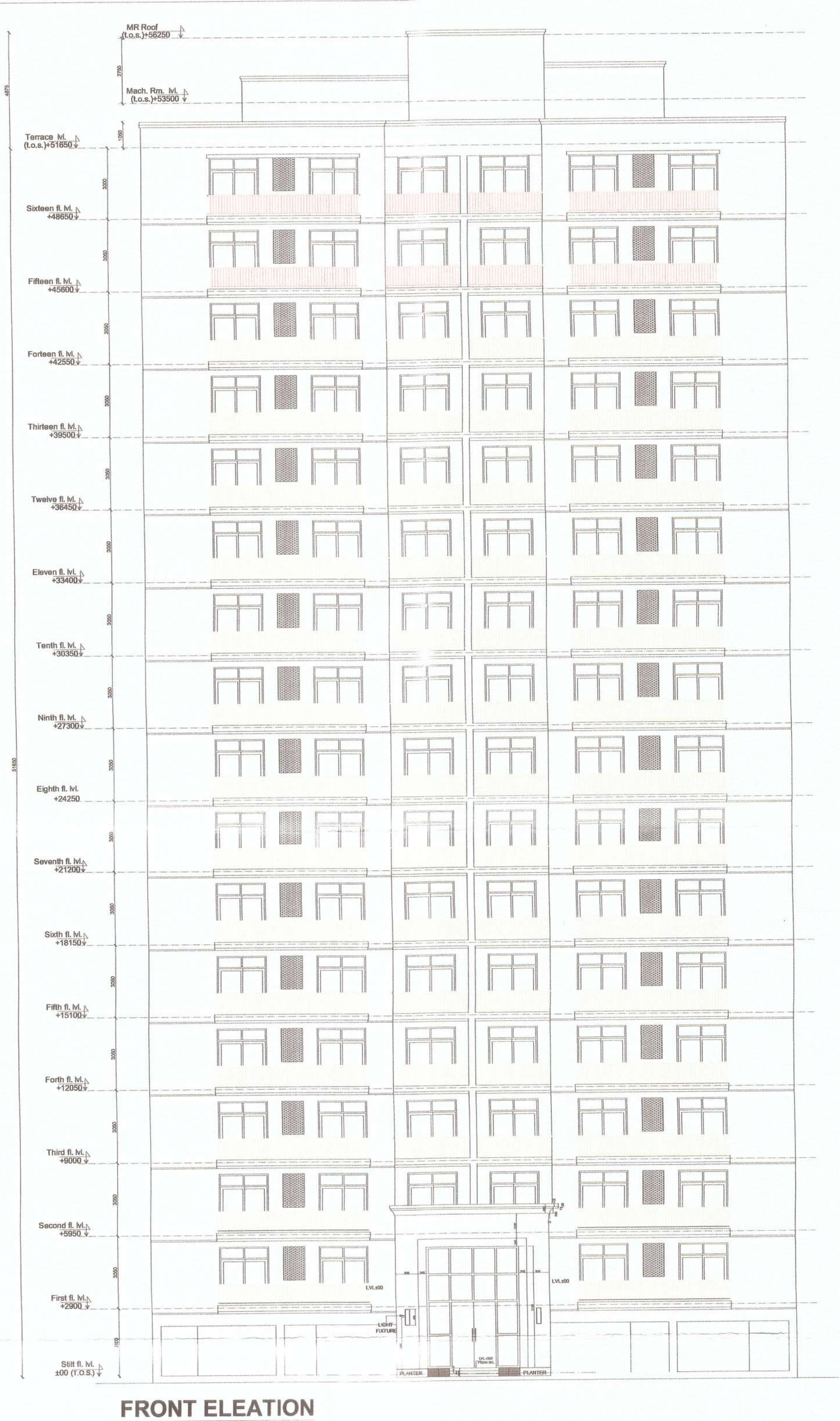
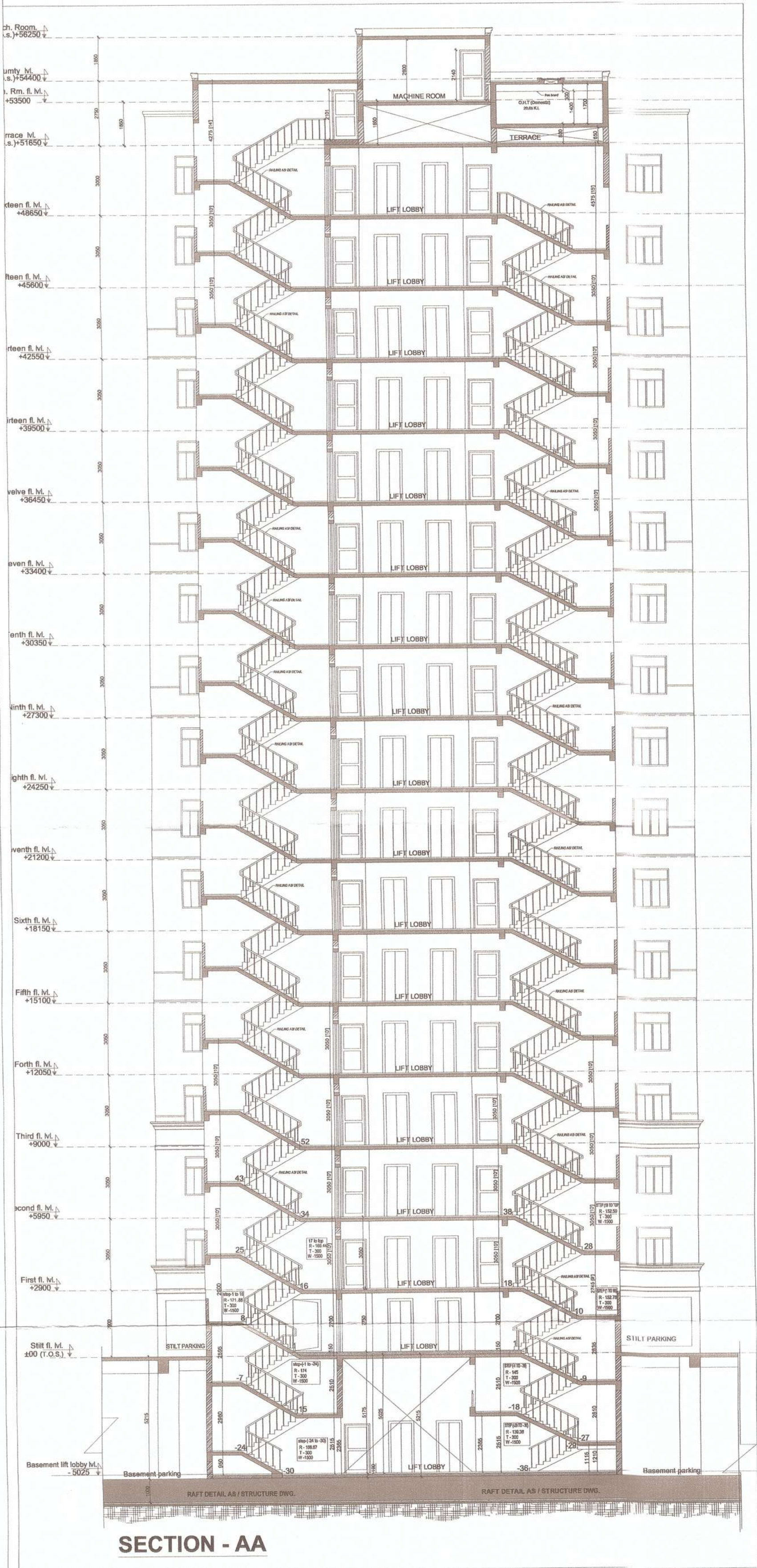




This drawing is a "COPYRIGHT" contents of the drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

PROJECT:-
COMPOUNDING & PROPOSED GROUP HOUSING-3 AT KHASRA NO. 153(P), 154 (P), 156(P), 159, 160(P), 157(G.S) IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD, LUCKNOW (U.P.)

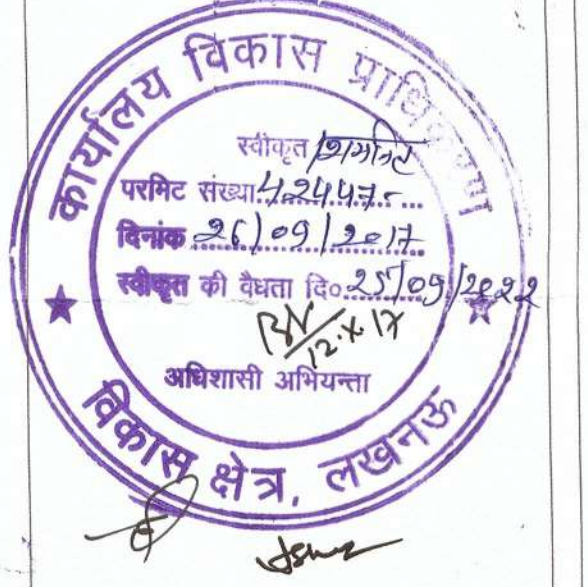
NOTES

प्र. सं. १-२०१५/१५१५
दिनांक ११.१०.१७ को शर्तों के अनुरूप अनुमोदित किया गया।

अभिमान अधिकारी
लखनऊ

- प्रतिबन्ध
1. नगरपालिका तथा नगर विकास विभाग के समक्ष में प्रतिकूल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल उसी जमीन पर विकास/निर्माण कार्य कर सकते हैं, जिस जमीन का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कंपनी के नाम है। सरकार के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम समूह की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पास में नहीं है, उस नाम पर विकासकर्ता जब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करता जब तक कि उस नाम का पुरावण/अवधारण/भूमि ग्रहण की कार्यवाही विकासकर्ता के पास में न हो जाये।
 2. विकासकर्ता के अनुसार स्वतः पर प्रकृत विकसित विकास के अनुसार विकास/अवधारण/भूमि ग्रहण होगा।
 3. विकासकर्ता के अनुसार स्वतः पर प्रकृत विकास के अनुसार विकास/अवधारण/भूमि ग्रहण होगा।
 4. विकासकर्ता के अनुसार स्वतः पर प्रकृत विकास के अनुसार विकास/अवधारण/भूमि ग्रहण होगा।
 5. विकासकर्ता के अनुसार स्वतः पर प्रकृत विकास के अनुसार विकास/अवधारण/भूमि ग्रहण होगा।
 6. विकासकर्ता के अनुसार स्वतः पर प्रकृत विकास के अनुसार विकास/अवधारण/भूमि ग्रहण होगा।
 7. विकासकर्ता के अनुसार स्वतः पर प्रकृत विकास के अनुसार विकास/अवधारण/भूमि ग्रहण होगा।
 8. विकासकर्ता के अनुसार स्वतः पर प्रकृत विकास के अनुसार विकास/अवधारण/भूमि ग्रहण होगा।
 9. विकासकर्ता के अनुसार स्वतः पर प्रकृत विकास के अनुसार विकास/अवधारण/भूमि ग्रहण होगा।
 10. विकासकर्ता के अनुसार स्वतः पर प्रकृत विकास के अनुसार विकास/अवधारण/भूमि ग्रहण होगा।
 11. विकासकर्ता के अनुसार स्वतः पर प्रकृत विकास के अनुसार विकास/अवधारण/भूमि ग्रहण होगा।
 12. विकासकर्ता के अनुसार स्वतः पर प्रकृत विकास के अनुसार विकास/अवधारण/भूमि ग्रहण होगा।
 13. विकासकर्ता के अनुसार स्वतः पर प्रकृत विकास के अनुसार विकास/अवधारण/भूमि ग्रहण होगा।

यह योजना नगर विकास विभाग के समक्ष में प्रतिकूल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल उसी जमीन पर विकास/निर्माण कार्य कर सकते हैं, जिस जमीन का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कंपनी के नाम है। सरकार के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम समूह की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पास में नहीं है, उस नाम पर विकासकर्ता जब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करता जब तक कि उस नाम का पुरावण/अवधारण/भूमि ग्रहण की कार्यवाही विकासकर्ता के पास में न हो जाये।



DRAWING TITLE
SUBMISSION DRAWING
ELEVATION & SECTION OF 3 BHK UNIT - T-7 & 8

ARCHITECT

SCALE
1:100

DATE
SEP-2017

यह मानचित्र लखनऊ महानगरपालिका 2031 तथा नगर उपविधि 2008 तथा नगर विकास विभाग के अनुसार तैयार किया गया है।

CLIENT'S OWNERS
OMAXE
Turning dreams into reality

OMAXE LTD
CYBER TOWER JIND FLOOR-TC-34V2
VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR
LUCKNOW-226001
CALL: 99522-4615000, 4000113

ARCHITECT'S SIGNATURES
OWNER'S SIGNATURES

DRAWING NUMBER: INT./LKO/GH/3/SUB-12/12